286

1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

- - - -

प्र०क्र० निगरानी- 4098/2018/ टीकमगढ़ /भू.रा.

लक्ष्मन तनय किशोरी यादव निवासी शिवराजपुर
तह.जतारा हाल मोहनगढ जिला टीकमगढ म.प्र.
..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म०प्र०शासन

पुनरीक्षण प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का प्र०क्र०35/निगरानी/ 88-89मे पारित आदेश दिनांक 14/10/88 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959

- - - - - - - - - - - - - -

महोदय,

विनम्र पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता का ग्राम खिरिया हतगोरा की भूमि ख.न. 117 रकवा 1.616हे० पर दिनांक 2/10/1984 के पूर्व का फसली कब्जा होने से प्रश्नाधीन भूमि को म.प्र. दखलरहित भूमि पर कृषि करने के कारण भूमि स्वामी अधिकार प्रदाय किया जाना अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापित की गई थी और दिनांक 3/5/1986को तत्कालीन नायब तहसीलदार मोहनगढ के द्वारा अपने प्रकरण क्र. 278/अ-19ब /85-86 के द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसे तत्कालीन पटवारी के द्वारा नामांतरण पंजी क.7 पर दर्ज किया गया था और आदेश के अनुसार आवेदक को भू अधिकार पुस्तिका जारी की गई थी तथा खसरे मे नाम वर्ष2017-18 तक दर्ज चला आ रहा है।

2. यहकि प्रश्नाधीन भूमि को एकांगी रूप से दिनांक 19/06/88 को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जतारा के द्वारा स्वनिगरानी मे लेने हेतु आदेश जारी किया और पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक को कोई सूचना जारी नही की गई तथा दिनांक 14/10/88 को अनुविभागीय अधिकारी ने लेख किया कि अनावेदक सूचना उपरांत उपस्थित नही उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा आवेदक का पट्टा दिनांक 3/5/1986 निरस्त किया जाता है इससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण निम्नलिखित बिन्दुओ पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्र.क्र. 4287 श्रीवास्तव अभि. द्वारा आज दि. 2-7-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक बहस हेतु दिनांक 10-7-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर अग्रिम प्रति ... पृष्ठ क्र. 01 दिनांक 2/7/18 हस्ताक्षर व नाम ...

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4098/2018/टीकमगढ़/भू.रा. लक्ष्मन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 35/निगरानी/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 14-10-1988 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	